राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकः– एफ13/3/33/वीएस/डीईएस/तक./2021/ 426 दिनांकः– 06/07/2021

## –:परिपत्रः–

आमजन की सुविधा हेतु राज्य में 01.01.20214 से पूर्व जारी किए गए हस्तलिखित जन्म–मृत्यु एवं विवाह प्रमाण–पत्र के लिए वेबपोर्टल पहचान पर ऑनलाईन आवेदन कर ई–साईन युक्त कम्प्यूटराईज्ड प्रमाण पत्र जारी करना प्रारम्भ किया गया है। पहचान पोर्टल के माध्यम से आमजन द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने एवं रजिस्ट्रार द्वारा ई–साईन युक्त कम्प्यूटराईज्ड प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

**आमजन :–**

1. पहचान पोर्टल पर 'आवेदन–लिगेसी प्रमाण पत्र कम्प्यूट्रीकरण' विकल्प पर क्लिक करके जन्म/मृत्यु/विवाह हेतु आवेदन में प्रवेश करना होगा।
2. जन्म प्रमाण –पत्र के आवेदन हेतु बच्चे के माता या पिता का आधार नम्बर, मृत्यु प्रमाण –पत्र के आवेदन हेतु माता या पिता या पति/पत्नी का आधार नम्बर एवं विवाह प्रमाण–पत्र आवेदन हेतु पति/पत्नी का आधार नम्बर दर्ज करना होगा, ओटीपी द्वारा आधार सत्यापन पश्चात आवेदन प्रपत्र में चाही गई विधिक/सांख्यिकी सूचना अनिवार्य रूप से भरनी होगी।
3. सूचना भरने के पश्चात पुराना जन्म/मृत्यु/विवाह प्रमाण–पत्र अपलोड करना होगा एवं 'इन्द्राज करें' पर क्लिक करना होगा।
4. इन्द्राज के पश्चात आवेदक को Reference No. प्राप्त होगा तथा आवेदन प्रपत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित रजिस्ट्रार को अग्रेषित हो जाएगा।
5. संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा जन्म प्रमाण–पत्र की आवश्यक जाँच कर सही होने की स्थिति में ई–साईन/डिजिटल साईन युक्त कम्प्यूटराईज्ड जन्म–मृत्यु एवं विवाह प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा परन्तु जाँच में कमी पाए जाने पर रजिस्ट्रार द्वारा टिप्पणी में कमी का कारण अंकित करके आवेदक को आवेदन प्रपत्र लौटा दिया जायेगा एवं आवेदक द्वारा कमी की पूर्ति 'आवेदन संशोधन' में करने के पश्चात ई–साईन/डिजिटल साईन युक्त प्रमाण–पत्र प्राप्त हो सकेगा।
6. जन्म–मृत्यु एवं विवाह प्रमाण–पत्र जारी होने के पश्चात अथवा आवेदन पत्र में कमी पाये जाने पर आवेदक को SMS के माध्यम से सूचना दी जायेगी।
7. आवेदक Reference No. की सहायता से आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
8. जारी किए गए ई–साईन/डिजिटल साईनयुक्त प्रमाण–पत्र को आवेदक द्वारा पहचान पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।

रजिस्ट्रार :–

1. रजिस्ट्रार प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच करेगा, जाँच में सही पाए जाने पर इन्द्रांज करके ई–साईन युक्त प्रमाण–पत्र जारी करेगा। जाँच में कमी पाए जाने पर टिप्पणी में कमी का कारण अंकित करके आवेदक को आवेदन प्रपत्र लौटा दिया जायेगा एवं आवेदक द्वारा कमी की पूर्ति 'आवेदन संशोधन' में करने के पश्चात ई–साईन युक्त प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।
2. जन्म–मृत्यु एवं विवाह प्रमाण–पत्र जारी होने अथवा कमी दोनो ही स्थिति में आवेदक को SMS द्वारा सूचना स्वतः जायेगी।

भवदीय

(डॉ.ओमप्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13/3/33/वीएस/डीईएस/तक./2021/426 दिनांकः– 06/07/2021

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–**

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव,विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलक्टर, जिला.................... ।
4. जिला रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं आयुक्त नगर निगम, जिला.................... ।
5. उप मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला................ ।
6. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6–बी झालाना डूंगरी, जयपुर।
8. जिला रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग, जिला............ को भेज कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र सम्बन्धित अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं विकास अधिकारी/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगरपालिका...................जिला................. ।
10. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु)
एवं संयुक्त निदेशक (जीवनांक)